प्रतिलिपि
उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग-2
(चयन समिति कार्यालय)
242, जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या 5।95/ब्यूरो-2-2(45)-79
लखनऊ, दिनांक ।4 दिसम्बर, 1979

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- सार्वजनिक क्षेत्र में जन शक्ति नियोजन-सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों का गठन।

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निगमों/उद्योगों में समुचित एवं सुव्यवस्थित जन शक्ति नियोजन, कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, वरिष्ठ पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों को एक निर्धारित प्रणाली के अनुसार विशिष्ट चयन समितियों द्वारा चयन करक नियुक्त अधिकारी को संस्तुति देने के प्रश्न पर शासन द्वारा कुछ समय से विचार किया जा रहा है । यह आवश्यक है कि इन निगमों/उद्योगों के उच्च कार्यकारी पदों पर उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त किये जायें, जो कि सार्वजकिन उद्योगों का सफलता तथा कार्यकुशलता से संचालन कर उन लक्ष्यों की पूर्ति करा सकें, जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है ।

2- इन पृष्ठभूमि में शासन द्वारा गंभीरतापूर्वक विचारोपरान्त प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगमों/उद्योगों/उपक्रमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों के उच्च स्तरीय पदों के सुव्यवस्थित प्रणाली तथा प्रक्रिया के अनुसार चयन करके विभिन्न पदों के लिए, उपयुक्त नामों की संस्तुति देने के उद्देश्य से सार्वजनिक उद्योग चयन समिति । व 2 की स्थापना का निर्णय लिया गया है ।

3- सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों द्वारा रु0 2,000 से अधिक के वेतनमान के सभी पदों के लिए चयन किया जायेगा । चयन के पश्चात उपयुक्त व्यक्तियों के नाम शासन को भेजे जायेंगे तथा समबन्धित प्रशासकीय विभाग, सक्षम स्तर के आदेशों के उपरान्त यथावत् नियुक्ति आदेश जारी करेंगे ।

4- सार्वजनिक उद्योग चयन समिति । व 2 को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं । यह कार्य सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग में होगा, जो इसके लिए प्रशासकीय विभाग होंगे :-

(।) निगमों आदि के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी एवं अन्य उच्च वेतनमान के पदों पर उचित व्यक्तियों का चयन करना ।

(2) प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में सुझाव देना तथा उनके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना ।

(3) सार्वजनिक उद्योगों के उच्चस्तरीय पदों का दायित्व एवं विवरण रखना । पदों के कर्तव्यों को (Job descriptions) निर्धारित करना तथा चयन का उचित स्रोत (Preferred sources) निर्धारित करना । शासन को परामर्श देना कि प्रत्येक उद्योग का उच्चस्तरीय संगठन किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे क्या पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एक ही व्यक्ति हो या पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक पृथक-पृथक हों, महानिदेशक हों या नहीं, इत्यादि ?

(4) केन्द्रीय डाटा बैंक स्थापित करना तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों का विवरण रखना ।

(5) उक्त डाटा बैंक अद्वाधिक स्थिति में रखना ।

(6) प्रासंगिक पदों को संभावित रिक्तियों की सामयिक सूचना के लिए सार्वजनिक उद्योगों आदि तथा शासन के प्रशासकीय विभागों से निर्धारित रूप-पत्रों पर समय-समय पर सूचना एकत्र करना।

(7) यह सुनिश्चित करना कि नियुक्ति पदधारक अपने पद पर पर्याप्त समय तक कार्यरत रहे, जो कि साधारणतया 3 वर्ष होना चाहिए। अपवाद, चयन समिति के परामर्श से किए जायेंगे।

5-चयन की प्रक्रिया-चयन समिति का गठन :-

सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों के कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त उच्च कार्यकारी तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के चयन के लिए निम्नलिखित दो चयन समितियों के गठन की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है :-

चयन समिति (प्रथम)-।

सार्वजनिक निगमों, उद्योगों आदि के समस्त अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि के ऐसे पदों पर जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 3,000 या उससे अधिक है, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

चयन समिति की सदस्यता-

(1) मुख्य सचिव	...	अध्यक्ष
(2) सचिव, नियुक्ति विभाग	...	सदस्य
(3) प्रशासकीय विभाग के सचिव	...	सदस्य
(4) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	...	सदस्य
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो	...	सदस्य-सचिव

चयन समिति (द्वितीय)-2

सार्वजनिक उद्योगों, निगमों आदि के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों आदि के समस्त ऐसे पदों पर, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 2,000 से अधिक है पर रु0 3,000 से कम है, चयन इस समिति द्वारा किया जायेगा।

चयन समिति की सदस्यता-

(1) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक सचिव
(2) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक विशेषज्ञ
(3) सचिव, नियुक्ति विभाग
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो
(5) प्रशासकीय विभाग के सचिव

(उपरोक्त में से वरिष्ठतम सचिव इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे)।

6-सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों की स्थापना के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न निगमों/उपक्रमों आदि में तैनातियों से संबंधित पात्रता, अर्हता, अधिकारियों के चयन के बारे में अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि अब उपरोक्तानुसार चयन की कार्यवाही सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों द्वारा की जायेगी और चयन कार्यवाहियाँ तथा तद्विषयक संस्तुतियां सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग के माध्यम से की जायेगी।

7-रिक्तियों की दशा में प्रशासकीय विभाग सम्बन्धित निगम व उपक्रम आदि के पद के वेतनमान, पदनाम, अर्हता, पदोन्नति के लिए पात्रता क्षेत्र, दायित्व के विवरण तथा चयन के बारे में अन्य प्रासंगिक निर्णय, जो सक्षम स्तर पर लिए गए हों, का विवरण सार्वजनिक उद्योग चयन समिति कार्यालय को भेजेंगे। इसके साथ अपने अधिष्ठान, निगम या विभाग में ऐसे सभी अधिकारियों के नाम, जिन्हें वे उल्लिखित पद के लिए उपयुक्त समझते हों, भी भेजेंगे, जिन पर चयन समिति द्वारा भली-भाँति विचार किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग रिक्ति

सूचना भेजने हेतु संलग्न रूप-पत्र का उपयोग करेंगे। यथा सम्भव इसको सम्भावित रिक्ति होने के कम से कम एक माह पूर्व भेजा जाना चाहिए।

8-ऐसे समस्त तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों पर, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 2,000 या उससे कम है, नियुक्तियाँ सम्बन्धित सार्वजनिक निगमों, उद्योगों आदि द्वारा स्वयं की जायेंगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पदों के लिए जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 1,600 से अधिक तथा 2,000 से अनधिक है, गठित चयन समिति में महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो भी सदस्य के रूप में सहयुक्त रहेंगे।

9-जिन मामलों में शासन के विचार में अध्यक्ष के पद पर गैर-सरकारी व्यक्ति नियुक्त करना उपयुक्त समझा जाये उन पर नियुक्ति का निर्णय मुख्य मंत्री जी की अनुमति से लिया जायेगा। इसी प्रकार जिन मामलों में सार्वजनिक उद्योग, निगम आदि के निदेशक मण्डल में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को निदेशक के पद पर नियुक्ति/नागांकित करना विचाराधीन है, उन पर भी नियुक्ति/नामांकन का निर्णय मुख्य मंत्री जी की अनुमति से लिया जायेगा।

10-**पदों के सृजन की प्रणाली**

सार्वजनिक उद्योगों, निगमों आदि में ऐसे पदों के सृजन की कार्यवाही जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 2,000 तक है, सम्बन्धित निगम, उद्योग आदि द्वारा स्वयं की जायेगी। सार्वजनिक उद्योगों, निगमों आदि में रु0 2,000 से अधिक तथा रु0 2,500 तक के वेतनमानों की सीमा वाले पदों के सृजन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के संकल्प पर विचार करके संस्तुतियां के लिए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधिकारियों की समिति गठित करते हैं :-

(1) मुख्य सचिव	...	अध्यक्ष
(2) सचिव, वित्त विभाग	...	सदस्य
(3) प्रशासकीय विभाग के सचिव	...	सदस्य
(4) संबंधित निगम/उद्योग आदि के प्रबन्ध निदेशक	...	सदस्य
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो	...	सदस्य-सचिव।

उक्त समिति की संस्तुतियों पर निर्णय शासन द्वारा सक्षम स्तर पर लिया जायेगा।

सार्वजनिक निगमों, उद्योगों आदि में अन्य समस्त ऐसे नए पदों के सृजन के प्रस्ताव, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 2,500 से अधिक हो, मंत्रि-परिषद् के आदेशार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे।

समस्त सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों आदि के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उपरोक्त श्रेणी के पदों के सृजन के बारे में उल्लिखित प्रक्रिया अपनायें। तद्नुसार संबंधित प्रशासनिक विभाग इन पदों के सृजन के प्रस्तावों को आवश्यकतानुसार या तो उक्त समिति के विचारार्थ महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के माध्यम से रखेंगे या यथावत् वित्त विभाग से परीक्षण करवा कर मंत्रि-परिषद् के आदेश प्राप्त करेंगे।

11-**चयन समिति का सचिवालय-** उत्तर प्रदेश शासन का सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2, सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों के सचिवालय का भी कार्य करेंगे। चयन समितियों की सहायतार्थ दायित्वों के निर्वहन के लिए एक विशेष कार्यालय स्थापित किया जायेगा, जो कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो का एक अंग रहेगा। जब तक चयन समिति का कार्यालय स्थापित नहीं हो जाता है, उक्त कार्यालय का कार्य भी सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2 द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

12-**पदों का संवर्गीकरण**-सार्वजनिक निगमों, उद्योगों आदि के पदों के संवर्गीकरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्योग चयन कार्यालय के परामर्श से शासन को संस्तुतियाँ भेजी जायेंगी।

13-**डाटा बैंक**-सार्वजनिक उद्योग चयन समिति कार्यालय में एक केन्द्रीयत डाटा बैंक स्थापित किया जायेगा जिसके माध्यम से उपरोक्त चयन समितियों के उपयोगार्थ विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त तथा वांछित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के नाम आवश्यकतानुसार प्रेषित किए जायेंगे। डाटा बैंक में पदों की संख्या, दायित्व, रिक्तियों की सूचना, निगमों/उद्योगों तथा विभिन्न सेवाओं के कर्मचारियों का बायोडाटा तथा अन्य सुसंगत सूचनायें आद्यावधिक रखे जायेंगे।

14-इन आदेशों द्वारा सार्वजनिक उद्योगों/निगमों आदि के पदों के सृजन तथा चयन के बारे में उपरोक्त व्यवस्था संप्रति अंतरिम व्यवस्था के रूप में की जा रही है। बाद में पदों की प्रकृति, उनकी अर्हतायें, चयन के लिए पात्रता क्षेत्र, भर्ती के स्रोत तथा फीडर सर्विस के बारे में परिमार्जित प्रणाली अपनाई जायेगी।

15-सार्वजनिक उद्योगों, निगमों, उपक्रमों आदि के पदों के सृजन तथा उनके चयन के बारे में शासन द्वारा पोषित उपरोक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ निगमों, उद्योगों, प्रतिष्ठानों, उपक्रमों आदि से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए तद्नुसार कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करायेंगे। संबंधित निगमों, उद्योगों, उपक्रमों तथा प्रतिष्ठानों आदि से पदों के सृजन, रिक्तियों तथा चयन द्वारा पदों के भरे जाने के बारे में संलग्न रूप-पत्र पर सूचना के अतिरिक्त अन्य वांछित सूचनायें, चयन कार्यालय द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराई जायेंगी।

16-यह स्पष्ट किया जाता है कि यह कार्यालय-ज्ञाप सांविधिक निगमों के संबंधित अधिनियमों/नियमों, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्योगों, निगमों, उपक्रमों, प्रतिष्ठानों आदि के आर्टिकल्स, आफ एसोसियेशन के संबंधित आर्टिकिल तथा उ0प्र0 सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 41, 1975) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए श्री राज्यपाल महोदय के निदेश माने जायेंगे और तद्नुसार किसी भी सार्वजनिक उद्योग, निगम, उपक्रम, प्रतिष्ठान आदि से संबंधित अधिनियम/नियम आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में इन आदेशों के विपरीत यदि कोई धारा, नियम अथवा आर्टिकिल विद्यमान हो, तो इस कार्यालय-ज्ञाप के अनुकूल तत्काल संशोधन किया जाये।

सुमन कुमार मांडवल,
सचिव।

1-शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव।
2-समस्त सार्वजनिक निगमों/उद्योगों/उपक्रमों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकगण।
3-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या 5195 (1)/ब्यूरो-2-2 (45)/79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।
(2) समस्त मण्डलों के आयुक्त, उ0 प्र0।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
(4) महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ।
(5) गोपन अनुभाग-1। अशासकीय पत्र संख्या 4/2/18/79, दिनांक 8 नवम्बर, 1979 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
सुनन्दा प्रसाद,
उप सचिव।

संलग्नक-।

रिक्ति सूचना रूप-पत्र

नोट-यह सूचना शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा तीन प्रतियों में उप सचिव, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-2, 242, जवाहर भवन, लखनऊ को यथा सम्भव रिक्ति होने के एक माह पूर्व प्राप्त होनी चाहिए।

(।) (क) संगठन का नाम ---------- (ख) प्रशासनिक विभाग ----------

(2) पद ----------

(3) देय वेतन (वेतनमान, भत्ता आदि) ----------

(4) अन्य देय सुविधायें (आवास, चिकित्सा भत्ता, वाहन तथा सत्कार भत्ता आदि) ----------

(5) कार्य-विवरण (कर्तव्य एवं दायित्व, उत्तरदायित्व) ----------

(6 पद हेतु शैक्षिक अथवा तकनीकी वांछित योग्यतायें ----------

(7) वांछित अनुभव ----------

(8) पद कब से रिक्त है/रिक्त होने की संभावना है ----------

(9) पदधारकों का संक्षिप्त विवरण तथा उनमें प्रस्तावित परिवर्तन के कारण :-

नाम	शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यतायें	संवर्ग का विवरण (सेवा/चयन का वर्ष/वेतनमान आदि)	चयन विधि यथा प्रति नियुक्ति अथवा सीधी भर्ती आदि	सेवाकाल ------- से तक	* परिवर्तन के कारण

* यदि पदधारक ने तीन वर्ष से कम कार्य किया हो तभी परिवर्तन के कारणों का उल्लेख किया जाए।

(।0) प्रशासकीय विभाग की संस्तुतियाँ, यदि कोई हों ;

नाम	सेवा विवरण (अनुभव आदि)	वर्तमान तैनाती तथा वर्तमान तैनाती की तिथि	वेतनमान तथा वर्तमान वेतन	स्व-विवरण (विशेष प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम)	अन्य विवरण (कार्यज्ञान दक्षता, गुण व सर्वांगीण मूल्यांकन)

सचिव,
प्रशासनिक विभाग।

चयन समिति की संस्तुतियाँ